न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 77/2026

01. मोहरसिंह पुत्र श्री भादरराम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू हाल 4 पीकेएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–09.04.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी/प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 3 एम.डी.एम. वर्तमान चक 4 पी.के.एम. के खाता संख्या 18 मुरब्बा नं. 185/1 के किला नं. 14 ता 18, 23 ता 25 में 8.00 बीघा कमाण्ड (2.0232 हैक्टेयर) व मुरब्बा नम्बर 185/9 के किला नं. 1 ता 2, 8 ता 12, 17, 20 ता 24 में कुल 13.00 बीघा (3. 2877 हैक्टेयर) कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 21.00 बीघा (5.3109 हैक्टेयर) कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी के नाम मोहर सिंह पुत्र भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के भूमिहीन (पु.आ.) आवंटन हुई थी जिसका अमलदरामद मोहरसिंह पुत्र श्री भादर राम हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू भूमिहीन (पु.आ.) के नाम से राजस्व रिकार्ड में आवंटन हुआ था। उक्त आवंटन शुदा कृषि भूमि की सैल रजि. के खाता मुताबिक किस्त पेटे बकाया राशि जमा करवाकर उक्त कृषि भूमि की खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 71 क्रम संख्या 21 दिनांक 02.03.2015 को जारी करवाकर नामान्तकरण संख्या 63 दिनांक 14.03.2015 को स्वीकृत करवा लिया था। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मेहरसिंह पुत्र श्री भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 4 पी.के.एम. के खाता संख्या 18 मुरब्बा नं. 185/1 के किला नं. 14 ता 18, 23 ता 25 में 8.00 बीघा कमाण्ड (2.0232 हैक्टेयर) व मुरब्बा नम्बर 185/9 के किला नं. 1 ता 2, 8 ता 12, 17, 20 ता 24 में कुल 13.00 बीघा (3.2877 हैक्टेयर) कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 21.00 बीघा (5.3109 हैक्टेयर) कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय ने आधार जमाबन्दी से आनलाईन जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से मोहरसिंह पुत्र श्री भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के स्थान पर मेहरसिंह पुत्र श्री भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू कर दिया था, और आनलाईन जमाबन्दी अनुसार ही खातेदारी सनद जारी हो गई थी तथा खातेदारी नामान्तकरण संख्या 63 दिनांक 14.03. 2015 को भरते समय भी प्रार्थी का नाम मोहरसिंह पुत्र भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के स्थान पर मेहरसिंह पुत्र भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू कर दिया जबकि पहचान के दस्तावेजों व मुल आवंटन आदेश में मोहरसिंह पुत्र श्री भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के नाम से थे तथा खातेदारी सनद का नामान्तरण भी मोहरसिंह पुत्र श्री भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के नाम से भरकर स्वीकृत करना चाहिए था, इसलिए सहवन से दर्ज प्रार्थी का नाम मेहरसिंह पुत्र भादरराम हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के स्थान पर मोहर सिंह पुत्र भादरराम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू दुरूस्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पहले संलग्न पहचान के दस्तावेजों परिचय पत्र, मुल निवास व अन्य दस्तावेजों व मुल आवंटन आदेश का अवलोकन नहीं किया गया इसलिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहवन से प्रार्थी का नाम मेहरसिंह पुत्र श्री भादरराम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के स्थान पर मोहरसिंह पुत्र भादरराम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू अधिनस्थ न्यायालय दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को कृषि भूमि से संबंधित कागजी कार्यवाही फार्मर आईडी व सरकारी सुविधा के रूप में मिलने वाले लाभ प्राप्त करने में काफी दिक्कतो व परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा इससे प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान हो सकता है।

प्रार्थी के आवंटन आदेश एवं अन्य समस्त पहचान के दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, मुल निवास, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में भी प्रार्थी का नाम मोहर सिंह पुत्र श्री भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू अंकित है, जो कि सही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 एल. आर. एक्ट व 88 आर.टी. एक्ट सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम मेहरसिंह पुत्र भादरराम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के स्थान पर मोहर सिंह पुत्र भादरराम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमानें का निवेदन किया हैं।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, आवंटन पत्रावली की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 3 एम.डी.एम. वर्तमान चक 4 पी.के.एम. के खाता संख्या 18 मुरब्बा नं. 185/1 के किला नं. 14 ता 18, 23 ता 25 में 8.00 बीघा कमाण्ड (2.0232 हैक्टेयर) व मुरब्बा नम्बर 185/9 के किला नं. 1 ता 2, 8 ता 12, 17, 20 ता 24 में कुल 13.00 बीघा (3.2877 हैक्टेयर) कमाण्ड/अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 21.00 बीघा (5.3109 हैक्टेयर) कमाण्ड/अनकमाण्ड के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम मेहर सिंह पुत्र भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू के स्थान पर मोहरसिंह पुत्र भादर राम जाति हरिजन (मेघवाल) निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चुरू में वादी/प्रार्थी का नाम मेहरसिंह की जगह मोहरसिंह संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच मेहरसिंह नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का मेहरसिंह से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम मेहरसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 09.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)